आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2021–22, मुख्य अंश

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

1. वर्ष 2021–22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अग्रिम आकलन 9,23,967 करोड रुपये है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 17.65 प्रतिशत अधिक है।

2. प्रचलित मूल्य पर पिछले छह वर्षों में जीएसडीपी में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है और यह 2016–17 के 6,16,085 करोड़ रुपये की तुलना में 2021–22 में बढ़कर 9,23,967 करोड़ रुपये हो गया है।

3. अग्रिम आकलन के अनुसार 2021–22 के दौरान दिल्ली में स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत है।

4. वर्ष 2021–22 के लिए प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) दर्शाता है कि इसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान 83.94 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.78 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28 प्रतिशत रहा।

5. दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर 4,01,982 रुपए थी, जबकि 2020–21 में यह 3,44,136 रुपए थी। इस प्रकार इसमें 16.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

6. दिल्ली में औसत प्रतिव्यक्ति आय समग्र भारत की प्रतिव्यक्ति आय से लगभग तीन गुना अधिक है। दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है जबकि गोआ पहले स्थान पर और सिक्किम दूसरे स्थान पर है।

7. दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार बनाए रखा है, 2020–21 (अनंतिम) के दौरान यह 1450 करोड़ रुपए था। दिल्ली का राजस्व अधिशेष वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसडीपी का 0.18 प्रतिशत और 2021–22 (बजट आकलन) में 0.14 प्रतिशत था।

8. दिल्ली का बकाया ऋण, 31 मार्च 2021 को 40996.66 करोड़ रुपये था। ऋण जीएसडीपी का अनुपात वर्ष 2011–12 के 8.61 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 5.18 प्रतिशत हो गया है।

9. ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2011–12 में 13.03 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 2020–21 में 6.86 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऋण की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में है।

10. दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020–21 (अनंतिम) में 9972.96 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2019–20 में यह 3227.79 करोड़ रुपये था। वित्तीय घाटा 2019–20 के दौरान जीएसडीपी के 0.41 प्रतिशत की तुलना में 2020–21 में 1.27 प्रतिशत रहा।

11. वर्ष 2021–22 के बजट में समाज सेवा सैक्टरों में स्कीम/परियोजनाओं के तहत बजट आवंटन 62.2 प्रतिशत है।

12. 2021–22 में योजना/कार्यक्रम/परियोजना बजट आवंटन में परिवहन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और कुल बजट का 23.45 प्रतिशत इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। शिक्षा क्षेत्र (19.52%), चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (13.74%), समाज कल्याण (11.74%), जलआपूर्ति और स्वच्छता (8.66%), ऊर्जा (8.53%) और शहरी विकास (8.51%) के लिए आवंटित किया गया।

13. विद्यार्थी परामर्श, अंग्रेजी बोलने में निपुणता के लिए विशेष कक्षाएं और संचार योग्यता कक्षाएं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, छात्रों को सीड मनी, मिशन उत्कृष्टता, दिल्ली की योगशाला, दिल्ली में लोगों के घरों तक सेवाएं पहुंचाने, सीसीटीवी कैमरे, वाई–फाई दिल्ली, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना आदि नवीन योजनाओं से दिल्ली के नागरिकों के जीवन–स्तर में बहुत सुधारात्मक बदलाव आया है। इसलिए बजट के जरिए निवेशों से दिल्ली में लोगों को स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा की उत्तम सुविधाएं मिल रही हैं।

पर्यावरण और वन तथा कृषि

14. वर्ष 1997 के बाद से वन और वृक्ष कवर क्षेत्र में बढोतरी हो रही है। दिल्ली सरकार की पहल से 2021 में वन और वृक्षों से घिरे क्षेत्र का दायरा बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इससे कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है।

15. India State of Forest Report, 2021 के अनुसार सात प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली का वन क्षेत्र सबसे अधिक 194.24 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद मुंबई का 110.77 वर्ग किलोमीटर और बंगलुरू का 89.02 वर्गकिलोमीटर है।

16. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में दिल्ली का वृक्ष क्षेत्र, चंडीगढ़ (13.16 प्रतिशत) के बाद, 9.91 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है।

17. एक किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कनॉट प्लेस के बाबा खड्गसिंह मार्ग पर 20 मीटर लंबा स्मॉग टावर 23.08.2021 को लगाया गया जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

18. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सर्दियों की 10–सूत्रीय कार्ययोजना लागू की। इसके तहत पराली प्रबंधन के लिये डि–कंपोजर का उपयोग, धूल नियंत्रण अभियान, कचरा जलाने पर जुर्माना, पटाखों पर पाबंदी, स्मॉग टावर लगाना, अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान और निगरानी, ग्रीन वॉर रूम, हरित दिल्ली ऐप, ई–कचरा पार्क और वाहन प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया।

19. दिल्ली का कुल सकल फसली क्षेत्र 2012–13 में 35178 हैक्टेयर से बढ़कर 2020–21 में 43569 हैक्टेयर हो गया।

पर्यटन, विद्युत और उद्योग

20. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण सब–सेक्टर प्रमुख योगदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र से आय 2011–12 के 18907 करोड रूपये से बढकर 2021–22 में 42230 करोड रूपये हो गई।

21. नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य (एस. डी.जी.)–9 यानि 'समावेशी सतत औद्योगीकरण, नवाचार को बढावा' हासिल करने में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है।

22. व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत 2019 में 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ने 12वां स्थान हासिल किया।

23. भारत की राजधानी विदेशी और घरेलू, दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए देश के प्रमुख आगमन स्थलों में एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस–2021 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान

विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ दिल्ली चौथे स्थान पर रहा जोकि कुल पर्यटकों का 9.50 प्रतिशत था।

24. वर्ष 2011–12 से 2020–21 की अवधि के दौरान दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 43.01 लाख से बढकर 63.87 लाख हो गई।

25. बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2011–12 के 5028 मेगावाट से बढकर 2020–21 में 6314 मेगावाट हो गई।

26. दिल्ली में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि वर्ष 2002 (पूर्व सुधार अवधि) के 52 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 6.92 प्रतिशत पर आ गई।

27. वर्तमान में 56 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तीन अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र तिमारपुर–ओखला (20 मेगावाट), गाजीपुर (12 मेगावाट) और नरेला–बवाना (24 मेगावाट) में तीन अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र चालू हैं। भलस्वा (15 मेगावाट), तेहखंड (25 मेगावाट) और गाजीपुर के मौजूदा संयंत्र में 8 मेगावाट विस्तार वाले अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की भी योजना बनाई गई है।

28. ग्रिड से जुड़ी सभी सौर परियोजनाओं ने दिसंबर 2021 तक दिल्ली में लगभग 223.601 मेगावाट बिजली का योगदान दिया है।

29. दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और डब्ल्यूटीई) की कुल स्थापित क्षमता 31/12/2021 तक 279.601 मेगावाट है।

परिवहन

30. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं– दिल्ली बस परिवहन और क्लस्टर बसें तथा मेट्रो रेल।

31. वर्ष 2020–21 में डीटीसी बसों में प्रतिदिन औसत यात्री संख्या 12.24 लाख और कलस्टर बसों में 8.50 लाख थी। हालांकि कोविड पूर्व अवधि के दौरान डीटीसी की दैनिक औसत यात्री संख्या 33. 31 लाख और क्लस्टर बसों में 17.71 लाख थी।

32. फेस–4 के तहत तीन प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि शेष तीन कॉरिडोर अभी विचाराधीन है।

33. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 31 मार्च 2021 तक सडकों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 122. 53 लाख थी जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 3.03 प्रतिशत की वृद्धि रही।

34. दिल्ली में 58 बस डिपो परिचालन में हैं और 12 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

35. दिल्ली में 16 बस टर्मिनल कार्यरत हैं। सेक्टर 12 द्वारका, सेक्टर 4 द्वारका, विकासपुरी और नरेला में नये बस टर्मिनल निर्माणाधीन हैं।

36. डीटीसी 453 शहर रूटों पर और सात एनसीआर रूटों पर 3760 बसों का परिचालन कर रहा है और एनसीआर में सबसे बडा सार्वजनिक परिवहन माध्यम है। इसके अलावा कलस्टर योजना के तहत 3191 बसें चलाई जा रही हैं।

37. महिलाओं की सुरक्षा के लिए 31.10.2021 तक डीटीसी बसों में 9286 मार्शल और क्लस्टर बसों में 3368 मार्शल तैनात किए गए।

38. सभी डीटीसी और कलस्टर बसों में ईटीएम के जरिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड और स्वचालित किराया वसूली प्रणाली लागू की गई है।

39. दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से "दिल्ली विद्युत वाहन नीति" को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत 2024 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में विद्युत वाहनों का हिस्सा 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

40. रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा।

41. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 29.10.2019 से सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई है। वर्ष 2020–21 के दौरान महिला यात्रियों ने डीटीसी में 11.49 करोड़ और क्लस्टर बसों में 10.22 करोड़ ट्रिप की निशुल्क यात्रा की।

आवास और जलापूर्ति

42. दिल्ली सरकार ने वाटर कनैक्शन मीटर वाले सभी परिवारों को 20 किलोलीटर तक पानी की खपत निःशुल्क मुहैया कराना सुनिश्चित किया है। इस योजना के शुरू होने के बाद से लगभग 6 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

43. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक नियमित जलापूर्ति में सफलता प्राप्त की एंव 1583 (88 प्रतिशत) अनधिकृत कालोनियों तक पानी की आपूर्ति की है।

44. दिल्ली के लगभग 93 प्रतिशत परिवारों को अब पाईप द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

45. गर्मी के मौसम में जल उत्पादन निरंतर 953 एमजीडी प्रतिदिन पर बनाए रखा जा रहा है। जलापूर्ति नेटवर्क के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 15041 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और लगभग 125 भूमिगत जलाशय शामिल हैं। शहर में पानी की आपूर्ति की प्रणाली में सुधार के लिए जीपीएस प्रणाली की व्यवस्था के साथ नए वाटर टैंकर लगाए गए हैं।

46. वर्ष 2021 में दिल्ली जल बोर्ड की जल उपचार क्षमता, 921 एमजीडी रही।

47. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), बेघर, बेसहारा लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए 205 रैनबसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है, जिनमें 18538 लाभार्थियों के ठहरने की क्षमता है।

शिक्षा

48. दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1231 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जो राजधानी में चल रहे कुल स्कूलों का 21.73 प्रतिशत है।

49. वर्ष 2020–21 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का हिस्सा, दिल्ली के सभी स्कूलों में कुल नामांकन का 39.36 प्रतिशत था।

50. यूडीआईएसई + रिपोर्ट 2019–20 के अनुसार दिल्ली में सभी स्तरों पर शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात तथा निवल दाखिला अनुपात अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है।

51. 2021–22 के दौरान एसटीईएम, मानविकी विज्ञान, प्रदर्शन और दृश्यकला तथा 21वीं सदी के आधुनिकतम कौशल के क्षेत्रों को कवर करते हुए 2300 विद्यार्थियों के साथ 9वीं से 12वीं ग्रेड तक के 20 विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय (एस.ओ.एस.ई.) शुरू किए गए हैं।

52. बिजनेस ब्लास्टर परियोजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से सीड मनी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने नवाचारी व्यापार विचार को लागू कर सकें।

53. भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान) में देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक 22.8 प्रतिशत का बजटीय आवंटन किया।

54. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधन विकसित करने की चुनौती से निपटा जा सके। वर्ष 2021–22 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 6258 है।

55. दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड–डीबीएसई की शुरूआत मार्च 2021 में की गई। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के तीस स्कूलों के साथ काम शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार के सभी स्कूल और इच्छुक निजी विद्यालय डीबीएसई से संबद्ध हो सकते हैं।

स्वास्थ्य

56 दिल्ली सरकार चार स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा मॉडल लागू कर रही है। पहले और दूसरे स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

57. दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक 88 अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1573 औषधालय, 138 मातृत्व गृह तथा उप केंद्र, 52 पॉलीक्लिनिक, 1119 नर्सिंग होम, 388 विशेष क्लिनिक और 19 मेडिकल कॉलेज थे।

58. दिल्ली सरकार अपने 944 औषधालयों जिसमें 175 एलोपैथिक औषधालय, 503 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (पायलट+नियमित), 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 49 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी और 108 होम्योपैथिक औषधालय, 17 मोबाइल क्लीनिक हैं, के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

59. सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क रेडियो लॉजिकल निदान सेवाएं और निःशुल्क सर्जरी की सेवा शुरू की है।

60. सडक दुर्घटना, तेजाब हमले के शिकार और जलने से पीडित लोगों का ईलाज भी दिल्ली आरोग्य कोष से किया जा रहा है।

61. महत्वपूर्ण संकेतक जैसे कि शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में दिल्ली, अखिल भारतीय स्तरों 32, 23, 36 की तुलना में निचले स्तरों क्रमशः 11, 10, और 19 पर है।

62. दिल्ली में 1.5 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) भारत में सबसे कम है (अखिल भारतीय स्तर– 2. 2) जो प्रतिस्थापन दर की उपलब्धि को इंगित करता है। इसी तर्ज पर दिल्ली में 3.3 प्रतिशत की अशोधित मृत्यु (क्रूड डेथ रेट) दर देश में सबसे कम है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

63. दिल्ली में 60 से 69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 2000 रूपये और 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों को 2500 रूपया प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांग लोगों और विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को भी 2500 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

64. वित्त वर्ष 2021–22 में दिसंबर 2021 तक लगभग 4.29 लाख वरिष्ठ नागरिकों को, मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2020–21 में ये संख्या लगभग 4.25 लाख थी।

65. वित्त वर्ष 2021–22 में दिसंबर 2021 तक लगभग 3.10 लाख विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 2020–21 में ये संख्या लगभग 2.81 लाख थी।

66. वित्त वर्ष 2021–22 में दिसंबर 2021 तक दिव्यांग लोगों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 1.11 लाख दिव्यांगों को वित्तीय सहयोग दिया गया। वर्ष 2020–21 में यह संख्या लगभग 1.02 लाख थी।

67. सरकार आर्थिक रूप से सुविधा वंचित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और समुचित रोजगार पाने के लिए "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना" के तहत कोचिंग उपलब्ध करा रही है।

68. 2021–22 से एक नई योजना 'मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार वित्तीय सहायता' लागू की गई है जिसके तहत कोविड महामारी के दौरान परिवार के रोजी–रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को 2500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता शुरू की गई है। ।

69. वित्त वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 12833 परिवारों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2020–21 में यह संख्या 13676 थी।

70. दिल्ली महिला आयोग, 219 महिला पंचायतों के साथ मुसीबत में पडी महिलाओं को आवश्यक परामर्श और कानूनी सलाह उपलब्ध करा रही है।

71. 10896 ऑगनवाडी केंद्रों के साथ 95 आईसीडीएस परियोजनाएं बच्चों (6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों) और गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, टीकाकरण, पाठशाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

72. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क, जिसमें समूची दिल्ली में 2005 उचित मूल्य दुकानें शामिल हैं, मार्च 2022 तक 17.80 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख आबादी की जरूरतें पूरी कर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा कार्ड, आधार से जुड़े हैं।

73. कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी भूखा न रहे, "विशेष खाद्य राहत पहल–मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना" का आगे विस्तार, सभी जरूरत मंद लोगों को, जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे सहित, सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए जारी रखा गया।

74. जुलाई 2021 से एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड/उचित मूल्य की सभी दुकानों तक राष्ट्रीय पहुंच के कार्यान्वयन से संबंधित आदेश 19.07.2021 को जारी किया गया। इसके जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी प्रवासी लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अपने मूल राज्य में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत, ई–पीओएस के जरिये बायोमैट्रिक प्रमाणन के बाद, निर्धारित राशन लेने का अधिकार होगा।